रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032024-252587
CG-DL-E-04032024-252587

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 963] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 4, 2024/फाल्गुन 14, 1945
No. 963] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 4, 2024/PHALGUNA 14, 1945

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2024

का.आ. 1008(अ).—जबकि मेसर्स अल्फ सोलर अमरसर प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 16वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 5, ब्लॉक-सी, साइबर सिटी, फेज़ III, गुरुग्राम - 122002, हरियाणा, भारत में है, ने "राजस्थान के बीकानेर में 600 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए मेसर्स अल्फ सोलर अमरसर प्राइवेट लिमिटेड (ए.एस.ए.पी.एल.) को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम में समर्पित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन" के तहत शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division-Part(1)/17 दिनांक 11.01.2023 के द्वारा "राजस्थान के बीकानेर में 600 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए मेसर्स अल्फ सोलर अमरसर प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम में समर्पित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन" के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स अल्फ सोलर अमरसर प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों, दैनिक भास्कर (हिंदी में) दिनांक 06.03.2023 और इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 06.03.2023 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक

08.04.2023 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स अल्फ सोलर अमरसर प्राइवेट लिमिटेड ने 22.11.2023 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "राजस्थान के बीकानेर में 600 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए मेसर्स अल्फ सोलर अमरसर प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम में समर्पित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन हैं:

1. अल्फ सोलर अमरसर प्राइवेट लिमिटेड सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट - बीकानेर- II (आई.एस.टी.एस.) पावर स्टेशन 220 केवी डी/सी लाइन की स्थापना

उपरोक्त योजना के अंतर्गत शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान प्रदेश के निम्नांकित गाँवों,कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्रम संख्या	गांवों के नाम	तहसील	ज़िला
1.	जैमलसर	बीकानेर	बीकानेर
2.	कवनी	बीकानेर	बीकानेर
3.	भानीपुरा	पूगल	बीकानेर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स अल्फ सोलर अमरसर प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं:

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स अल्फ सोलर अमरसर प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि उपरोक्त शिरोपरि लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त शिरोपरि लाइन के मार्ग का कुछ भाग) मानचित्र में चिह्नित जीआईबी संभावित क्षेत्र (या प्राथमिकता क्षेत्र) में आता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जीआईबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838, आदेश दिनांक 19.04.2021 का हिस्सा है | आवेदक को उपरोक्त शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन के भूमिगत होने के संबंध या बर्ड डायवर्टर लगाने के लिये , जैसा भी मामला हो , माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 के निर्देशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी समिति के निर्देशों का पालन करना है ।

[फा. सं. 25-16/7/2024-पीजी]
एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 1st March, 2024

S.O. 1008(E).—Whereas M/s ALF Solar Amarsar Private Limited, the applicant with its registered office at 16th Floor, Building No. 5, Block-C, Cyber City, Phase III, Gurugram – 122002, Haryana, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under "Dedicated overhead transmission line included in the Transmission System for providing connectivity to M/s ALF Solar Amarsar Private Limited (ASAPL) for its 600 MW Solar Power in Bikaner, Rajasthan".

And whereas, Central Electricity Authority (CEA), Ministry of Power, Government of India vide its letter CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division-Part(1)/17 dated 11.01.2023 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead transmission line covered under "Dedicated overhead transmission line included in the Transmission System for providing connectivity to M/s ALF Solar Amarsar Private Limited (ASAPL) for its 600 MW Solar Power in Bikaner, Rajasthan".

M/s ALF Solar Amarsar Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Dainik Bhaskar (in Hindi) dated 06.03.2023 and The Indian Express (in English) dated 06.03.2023 and in Weekly Gazette of India dated 08.04.2023 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s ALF Solar Amarsar Private Limited has submitted an affidavit dated 22.11.2023 declaring that no observation/representation was received within two months from the date of publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of transmission line under "Dedicated overhead transmission line included in the Transmission System for providing connectivity to M/s ALF Solar Amarsar Private Limited (ASAPL) for its 600 MW Solar Power in Bikaner, Rajasthan". The following overhead transmission line is covered under this scheme:

1. ALF Solar Amarsar Private Limited Solar Power Project - Bikaner-II (ISTS) PS 220 kV D/C transmission line.

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following Villages, Towns and Cities in the state of Rajasthan:

Sl. No.	Name of Villages	Tehsil	District
1.	Jaimalser	Bikaner	Bikaner
2.	Kawani	Bikaner	Bikaner
3.	Bhanipura	Pugal	Bikaner

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s ALF Solar Amarsar Private Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph

lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s ALF Solar Amarsar Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the GIB potential zone (or priority zone) marked in the map which is part of the order of the Hon'ble Supreme Court order dated 19.04.2021, in the petition No.838 of 2019 regarding GIB (Great Indian Bustard) case, the applicant has to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court, with regard to undergrounding of the above overhead transmission line and/or fixing of bird diverters, as the case may be as per the Hon'ble Supreme Court Order dated 19.04.2021 and the directions of the technical committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/7/2024-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.04 21:43:42 +05'30'